महत्वपूर्ण

संख्या– 553/पॉच–5–2020

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5 **लखनऊः दिनांक 21 मार्च, 2020**

विषयः नोवेल कोरोना वायरस ''कोविड–19'' से बचाव हेतु जनपद न्यायालय के परिसरों हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।

महोदय,

आप अवगत हैं कि नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाली बीमारी ''कोविड–19'' को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ''वैश्विक महामारी'' घोषित किया जा चुका है। उक्त बीमारी का अभी तक कोई प्रभावशाली कोई उपचार उपलब्ध नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में उचित सावधानी एवं संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क से बचाव द्वारा ही इस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इस संबंध में भारत सरकार एवं उ0प्र0 शासन द्वारा समय–समय पर गाइड लाइन्स जारी की गयी हैं। चूंकि, जिला न्यायालयों में लोगों का आना–जाना बडी संख्या में होता है, अतः जनपदीय न्यायालयों के परिसरों में कोविड–19 से बचाव हेतु विशेष सतर्कता की आवश्यकता है।

2– तद्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदीय न्यायालयों में कोविड–19 की रोकथाम हेतु तत्काल निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:–

(1) कोविड–19 से बचाव हेतु उत्तर प्रदेश के सभी जनपदीय न्यायालयों में जनपद न्यायाधीशों की सहमति से जिलाधिकारी के नेतृत्व में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/नगर निगम/नगर पंचायत के अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा मा0 न्यायालय परिसर के बाहर साफ–सफाई सुनिश्चित करायी जाय। यथा सम्भव परिसर के भीतर की भी सफाई एवं विसंक्रमण हेतु सहयोग किया जाय तथा मा0 न्यायालय के सम्बन्धित अधिकारियों को भविष्य के लिए कोविड–19 से बचाव हेतु सफाई व्यवस्था कैसे की जाएगी, से अवगत कराया जाए।

(2) भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों, कोविड–19 के पुष्ट मरीजों एवं उनके सम्पर्क में आये Symptomatic व्यक्तियों को ही मास्क की आवश्यकता है। स्वस्थ व्यक्ति जिनमें कोविड–19 के लक्षण नहीं हैं उन्हें मास्क की आवश्यकता नहीं है। तद्नुसार सभी को अवगत कराया जाए।

क्रमशः.....2

(3) सेनेटाइजर, हैण्डवॉश/ब्लीचिंग/मॉपिंग सामग्री का प्रबन्ध सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने विभागीय बजट से किया जाएगा। तद्नुसार मा0 न्यायालय के सम्बन्धित अधिकारियों से अनुरोध कर लिया जाय कि वह अपने विभागीय बजट से इसका प्रबन्ध कराने की व्यवस्था कर लें।

(4) मा0 न्यायालयों के लिए इन्फ्रारेड थर्मल स्कैनर उपलब्ध कराने के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि टेन्डर के बावजूद निर्माता कम्पनियों से थर्मल स्कैनर अभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नहीं हो पा रहे हैं। जैसे–जैसे पर्याप्त थर्मल स्कैनर उपलब्ध हो जायेंगे, जनपद न्यायालयों को थर्मल स्कैनर उपलब्ध कराए जायेंगे।

(5) कोविड–19 से बचाव हेतु प्रचार–प्रसार सामग्री (पोस्टर–बैनर आदि) मा0 न्यायालयों को उपलब्ध करायी जाए।

(6) मा0 न्यायालयों में लोंगों के बहुत अधिक संख्या में आवागमन पर प्रतिबन्ध हेतु अनुरोध किया जाए।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या–553(1)/पॉच–5–2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन,
2– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0,
3– समस्त मा0 जनपद न्यायाधीश, उ0प्र0,
4– रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उनके पत्रांकः 396/इन्फ्रासेल, दिनांक 16 मार्च, 2020 के सम्बन्ध में,
5– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ,
6– निदेशक, संचारी, उ0प्र0, लखनऊ,
7– समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0,
8– समस्त नगर आयुक्त/नगर स्वास्थ्य अधिकारी, उ0प्र0,
9– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।